No. Chandigarh Division 0/32/99/Dated 22-12-98

Regd. No. PB/CH-03

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY

© Govt. of Haryana Published by Authority

चण्डीगढ़ मंगलवार, दिनांक 22 जून, 1999
(1 आषाढ़ 1921 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग-II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग-III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 64/संवि/अनु. 309/98, दिनांक 4 सितम्बर, 1998, हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग, लिपिकीय वर्ग, भण्डार, पुस्तकालय, सांख्यिकीय और सामान्य (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998	2077—2158
	2. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65/संवि. अनु. 309/98, दिनांक 17 फरवरी, 1999, हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्नीकल स्टाफ (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1999 कहे जाने बारे।	2159—2361
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सा
भाग-IV	**शुद्धि पर्चियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

Price Re. 1.00

हरियाणा सरकार

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 सितम्बर, 1998

सं.सा.का.नि. 64/संवि./अनु. 309/98.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग, लिपिकीय वर्ग, भण्डार, पुस्तकालय, सांख्यिकीय और सामान्य (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

भाग I सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग, लिपिकीय वर्ग, भण्डार, पुस्तकालय, सांख्यिकीय और सामान्य (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं ।

(2) ये राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक ;

(ग) "सरकार से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है,--

(i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ङ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,——

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा), या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढ़ाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा चिकित्सा शिक्षा विभाग लिपिकीय वर्ग, भण्डार, पुस्तकालय, सांख्यिकीय और सामान्य (ग्रुप म) सेवा;

(छ) "चयन समिति" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा गठित चयन समिति ।

भाग II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थयी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,——

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या कीनिया, युगान्डा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति , जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, चयन समिति द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य ज़िम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलिभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो निदेशक को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ निदेशक द्वारा की जायेंगी ।

योग्यताएँ :

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तव तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जव तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में, उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं और अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में चयन समिति के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिये, लिखित रूप में कारण दिये जायें ।

अयोग्यताएँ :

8. **कोई भी व्यक्ति,—**

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागु स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छुट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग :

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी, लिपिकीय अमला :

(क) निदेशक के निजी सहायक की दशा में,—

(i) चिकित्सा अधीक्षक के निजी सहायक तथा प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय के निजी सहायक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) अधीक्षक (अराजपत्रित) की दशा में,--

(i) उप अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ग) उप अधीक्षक की दशा में,--

(i) सहायक, लेखाकार, चैकिंग सहायक, मुख्य लिपिक या कनिष्ठ लेखा परीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(घ) चिकित्सा अधीक्षक और प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय के निजी सहायक की दशा में,--

(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ङ.) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में,--

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(च) सहायक, लेखाकार, मुख्य लिपिक, चैकिंग सहायक, कनिष्ठ लेखा परीक्षक की दशा में,--

(i) रोकड़िया, लिपिक, लिपिक एवं टंकक या दरोगा एवं लिपिक, पेयिंग कलीनिक रोकड़िया में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(छ) रोकड़िया की दशा में,--

(i) लिपिक, लिपिक एव टंकक, दारोगा एवं लिपिक, पेयिंग क्लीनिक रोकड़िया में पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ज) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,--

(i) आशुटंकक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(झ) आशुटंकक की दशा में,--

(i) 25 प्रतिशत ऐसे लिपिकों में से जो विभागीय परीक्षा पास करता है । योग्य लिपिक न पाए जाने की दशा में, पद, सीधी भर्ती द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा भरा जाएगा ; तथा

(ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ञ) लिपिक, लिपिक एवं टंकक, दरोगा एंव लिपिक, पेयिंग क्लीनिक रोकड़िया की दशा में,--

(i) 20 प्रतिशत विभाग के ग्रुप घ प्रवर्ग के ऐसे कर्मचारियों में से जिनके वेतनमान लिपिक से कम हो, पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

भण्डार सेवाएँ :

(क) भण्डार अधिकारी की दशा में,--

(i) वरिष्ठ भण्डारपाल में से पदोन्नति द्वारा, या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) वरिष्ठ भण्डारपाल की दशा में,--

(i) भण्डारपाल या लिपिक एवं भण्डारपाल में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ग) भण्डारपाल और लिपिक एवं भण्डारपाल की दशा में,--

(i) 20 प्रतिशत ग्रुप घ प्रवर्ग के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

पुस्तकालय सेवाएँ :

(क) पुस्तकालय अध्यक्ष की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

सांख्यिकीय सेवाएं :

(क) सांख्यिकीय सहायक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) मैडीकल रिकार्ड टैकनीशियन की दशा में,--

(i) 50 प्रतिशत मैडीकल रिकार्ड लिपिक में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ग) मैडीकल रिकार्ड लिपिक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(घ) कम्पयूटर की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

सामान्य सेवाएँ :

(क) निदेशक शारीरिक शिक्षा (शारीरिक अनुदेशक) की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) स्वागती की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ग) छात्रावास पर्यवेक्षक की दशा में,--

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(घ) अधीक्षक महिला छात्रावास की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ङ.) काउँटर सुपरवाईज़र एवं मैस लिपिक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी, और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अबधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की, कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजक न रहा हो तो वह--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,--

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसे उसकी नियुक्ति की तिथि कि पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि, कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,--

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा, नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि ऐसा सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को, निम्नलिखित के अधीन भी सेवा में लिये प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर-निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम, या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छूट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तिया तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुय वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुन: टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. सेवा को पंजाब चिकित्सा विभाग अधीनस्थ पद (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1945, जहां तक वे इन नियमों के अधीन आने वाले पदों से सम्बन्धित है, इसके द्वारा निरसित किए जाते है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
	लिपिक वर्ग सेवाएं :				
1.	निदेशक का निजी सहायक	--	1	1	5500--175--8300--ई. बी.--175--9000
2.	अधीक्षक (अराजपत्रित)	1	3	4	5500--175--8300--ई. बी.--175--9000
3.	उप अधीक्षक	--	2	2	5450--150--6950--ई. बी.--150--8000
4.	चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय का निजी सहायक	--	2	2	5450--150--6950--ई. बी.--150--8000
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	3	2	5	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850
6.	सहायक	5	14	19	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850
7.	लेखाकार	3	14	17	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850
8.	चैकिंग सहायक	--	7	7	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850

1	2	3	4	5	6
9.	मुख्य लिपिक	1	--	1	5000-150--7100--ई. बी.--150--7850
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	--	1	1	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850
11.	रोकड़िया	1	4	5	4000--100--4800--ई. बी.--100--6000
12.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	2	3	5	4000--100--4800--ई. बी.--100--6000
13.	आशुटंकक	24	29	53	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
14.	लिपिक	24	29	53	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
15.	लिपिक एवं टंकक	6	3	9	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
16.	दरोगा एवं लिपिक	1	--	1	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
17.	पेयिंग क्लीनिक कैशियर	3	--	3	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
भण्डार सेवाएं :					
1.	भण्डार अधिकारी	1	--	1	5450--150--6950--ई. बी.--150--8000
2.	वरिष्ठ भण्डारपाल	3	2	5	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850

1	2	3	4	5	6
3.	भण्डारपाल	2	14	16	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
4.	लिपिक एवं भण्डारपाल	4	9	13	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
पुस्तकालय सेवाएं :					
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	2	5500-175--8300--ई. बी.--175--9000
2.	सहायक पुस्तकालाध्यक्ष	1	1	2	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
सांख्यिकीय सेवाएं :					
1.	सांख्यिकीय सहायक	1	--	1	5450--150--6950--ई. बी.--150--8000
2.	मैडिकल रिकार्ड टैक्नीशियन	---	4	4	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850
3.	मैडिकल रिकार्ड लिपिक	4	1	5	4000--100--4800--ई. बी.--100--6000
4	कम्प्यूटर	--	2	2	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
सामान्य सेवाएं :					
1.	निदेशक शरीरिक शिक्षा (शरीरिक अनुदेशक)	1	1	2	5450--150--6950--ई बी.--150--8000
2.	स्वागती	--	12	12	5000--150--7100--ई बी.--150--7850

1	2	3	4
3.	उप-अधीक्षक	--	**पदोन्नति द्वारा--** सहायक, लेखाकार, चैकिंग सहायक, मुख्य लिपिक या कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) उप-अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
4.	चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय का निजी सहायक	--	**पदोन्नति द्वारा--** वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; **स्थनानन्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	--	**पदोन्नति द्वारा--** (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ; (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपिक

1	2	3	4	5	6
3.	भण्डारपाल	2	14	16	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
4.	लिपिक एवं भण्डारपाल	4	9	13	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
पुस्तकालय सेवाएं :					
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	2	5500-175--8300--ई. बी.--175--9000
2.	सहायक पुस्तकालाध्यक्ष	1	1	2	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
सांख्यिकीय सेवाएं :					
1.	सांख्यिकीय सहायक	1	--	1	5450--150--6950--ई. बी.--150--8000
2.	मैडिकल रिकार्ड टैक्नीशियन	---	4	4	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850
3.	मैडिकल रिकार्ड लिपिक	4	1	5	4000--100--4800--ई. बी.--100--6000
4	कम्प्यूटर	--	2	2	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
सामान्य सेवाएं :					
1.	निदेशक शरीरिक शिक्षा (शरीरिक अनुदेशक)	1	1	2	5450--150--6950--ई बी.--150--8000
2.	स्वागती	--	12	12	5000--150--7100--ई बी.--150--7850

1	2	3	4	5	6
3.	छात्रावास पर्यवेक्षक	--	4	4	5000--150--7100--ई. बी.--150--7850
4.	अधीक्षक, महिला छात्रावास	1	--	1	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590
5.	काऊंटर सुपरवाईजर एवं मैस लिपिक	--	1	1	3050--75--3950--ई. बी.--80--4590

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
लिपिकीय अमला			
1.	निदेशक का निजी सहायक	--	**पदोन्नति द्वारा--** चिकित्सा अधीक्षक का या प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय का निजी सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) हिन्दी सहित मैट्रिक पास ; (ii) निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
2.	अधीक्षक (अराजपत्रित)	--	**पदोन्नति द्वारा--** उप अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) हिन्दी सहित मैट्रिक पास ।

1 2	3	4
3. उप-अधीक्षक	--	**पदोन्नति द्वारा--** सहायक, लेखाकार, चैकिंग सहायक, मुख्य लिपिक या कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) उप-अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
4. चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय का निजी सहायक	--	**पदोन्नति द्वारा--** वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; **स्थनानन्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
5. वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	--	**पदोन्नति द्वारा--** (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ; (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपिक

1	2	3	4
			और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन का टैस्ट पास किया होना चाहिए । चार प्रतिशत से अधिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिएं ;
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा —
			(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपि के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
			(ii) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनद की गति से उसके प्रतिलेखन में टैस्ट पास किया होना चाहिए ; पांच प्रतिशत से अधिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए;
			(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान

1	2	3	4
6. सहायक		--	**पदोन्नति द्वारा--** रोकड़ियों के रूप में दो वर्ष का अनुभव या लिपिक, लिपिक एवं टंकण, दरोगा एवं लिपिक, पेईंग क्लीनिक कैशियर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
7. लेखाकार		--	**पदोन्नति द्वारा--** रोकड़िया के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; लिपिक, लिपिक एवं दरोगा एवं लिपिक, पेईंग क्लीनिक कैश्यिर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

2	3	4
8. चैकिंग सहायक	--	**पदोन्नति द्वारा--** रोकड़िया के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; या लिपिक, लिपिक एवं दरोगा एवं लिपिक, पेईंग क्लीनिक कैशियर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
9. मुख्य लिपिक	--	**पदोन्नति द्वारा--** रोकड़िया के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; या लिपिक, लिपिक एवं टंकण, दारोगा एवं लिपिक, पेईग क्लीनिक कैशियर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा -** (i) मुख्य लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
10.	कन्ष्ठि लेखा परीक्षक	--	**पदोन्नति द्वारा--** रोकड़िया के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; या लिपिक, लिपिक एवं टंकण, दरोगा एवं लिपिक, पेईंग क्लीनिक कैशियर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव : (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
11.	रोकड़िया	--	**पदोन्नति द्वारा--** लिपिक या लिपक एवं टंकण, दरोगा एवं लिपिक, पेईंग क्लीनिक कैशियर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) रोकड़िये के रूप में पांच वर्ष अनुभक ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
12.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	--	पदोन्नति द्वारा-- (i) आशुटंकक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ; (ii) 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से इसके प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में टैस्ट पास किया होना चाहिए ; आठ प्रतिशत से अधिक आशुद्धियां नहीं होनी चाहिए ; स्थानान्तरण और प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) कनिष्ठ आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
13.	आशुटंकक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी या हायर सैकेन्डरी द्वितीय श्रेणी या इन्टरमीडियेट द्वितीय श्रेणी या 10 जमा 2 (व्यावसायिक)	पदोन्नति द्वारा-- (1) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;

1	2	3	4
		द्वितीय श्रेणी या स्नातक या इसके समकक्ष, भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक ; (ii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन । उसे वार्षिक वेतन वृद्धि, द्वितीय भाषा में आशुलिपि टैस्ट पास करने पर ही दी जाएगी । आठ प्रतिशत से अधिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए।	(ii) 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में विभागीय टैस्ट पास करना होगा । 8 प्रतिशत से अधिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए ; (iii) 64 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन में विभागीय टैस्ट पास करना होगा । आठ प्रतिशत से अधिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए ।
14.	लिपिक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी या हायर सैकेन्डरी द्वितीय श्रेणी या इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी या 10 जमा 2 (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) या सेना में 15 वर्ष की सेवा के साथ श्रेणी I के साथ सेना प्रमाण-पत्र ; (ii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर 25/30 शब्द प्रतिमिनट की गति	**पदोन्नति द्वारा--** (i) जहां लिपिक से कम वेतनमान हो, ग्रुप घ के पद पर 5 वर्ष का अनुभव ; (ii) निदेशक द्वारा लिया जाने वाला हिन्दी और अंग्रेजी में मैट्रिक स्तर का टैस्ट पास करना होगा । (iii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर, क्रमशः 25 और 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट

1	2	3	4
		से हिन्दी या अंग्रेजी की टंकण परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा उसे वार्षिक वेतनवृद्धि एवं पदोन्नति नहीं दी जाएगी ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	पास करना होगा अन्यथा उसे वार्षिक वेतनवृद्धि और पदोन्नति अनुज्ञात नहीं होगी ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
15.	लिपिक एवं टंकक	(i) मैट्रिक पास प्रथम श्रेणी या हायरसैकेन्ड्री द्वितीय श्रेणी या इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी या 10 जमा 2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक या इसके समकक्ष ;- (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) या सेना में 15 वर्ष की सेवा के साथ सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र ; (ii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर 25 या 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में क्रमशः परीक्षण पास करनी होगी अन्यथा उसे वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति अनुज्ञात नहीं होगी ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	**पदोन्नति द्वारा--** (i) ग्रुप घ में पद पर पांच वर्ष का अनुभव, जहां वेतनमान लिपिक से कम है ; (ii) निदेशक द्वारा लिया जाने वाला हिन्दी और अंग्रेजी में मैट्रिक स्तर का टैस्ट पास करना होगा ; (iii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25 और 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास करना होगा अन्यथा उसे वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति अनुज्ञात नहीं होगी ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;

1	2	3	4
			(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
16.	दरोगा एवं लिपिक	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी या हायरसैकेन्ड्री द्वितीय श्रेणी या इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी या 10 जमा 2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) या सेना में 15 वर्ष की सेवा के साथ सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र ; (ii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25 या 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास करना होगा अन्यथा उसे वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति अनुज्ञात नहीं होगी ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	पदोन्नति द्वारा-- (i) ग्रुप घ के पद पर पांच वर्ष का अनुभव, जहां वेतनमान लिपिक से कम है ; (ii) निदेशक द्वारा लिया जाने वाला मैट्रिक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में टैस्ट पास करना होगा ; (iii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25 और 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास करना होगा अन्यथा उसे वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति अनुज्ञात नहीं होगी ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) दरोगा एवं लिपिक रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
17.	पेईंग क्लीनिक कैशियर	(i) मैट्रिक पास प्रथम श्रेणी या हायरसैकेन्ड्री द्वितीय श्रेणी या इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी या 10 जमा 2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी या स्नातक या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) या सेना में 15 वर्ष की सेवा के साथ सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र ; (ii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25 और 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में होगा : परीक्षण पास करनी होगी अन्यथा उसे वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्तति अनुज्ञात नहीं होगी ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	पदोन्नति द्वारा-- (i) ग्रुप-घ के पद पर पांच वर्ष का अनुभव, जहां वेतनमान लिपिक से कम है ; (ii) निदेशक द्वारा लिया जाने वाला मैट्रिक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में टैस्ट पास करना होगा ; (iii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25 और 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास करना होगा अन्यथा उसे वार्षिक वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति अनुज्ञात नहीं होगी : (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) पेईंग क्लीनिक कैशियर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
	भण्डार सेवाएं		
1.	भण्डार अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से बी.ए. या बी.एस.सी. ;	पदोन्नति द्वारा-- वरिष्ठ भण्डारपाल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ;

1	2	3	4
		(ii) किसी हस्पताल या चिकित्सा संस्था में भण्डारपाल के रूप में 10 वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) भण्डार अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
2.	वरिष्ठ भण्डारपाल	--	**पदोन्नति द्वारा--** भण्डारपाल या लिपिक-एवं-भण्डार-पाल के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) वरिष्ठ भण्डारपाल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
3.	भण्डारपाल	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी या हायर सैकेन्डरी द्वितीय श्रेणी या इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी या स्नातक या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) या सेना में 15 वर्ष की सेवा के साथ सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र ;	**पदोन्नति द्वारा--** (i) ग्रुप घ के पद पर पांच वर्ष का अनुभव, जहां वेतनमान लिपिक से कम है ; (ii) निदेशक द्वारा लिया जाने वाला मैट्रिक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में टैस्ट पास करना होगा ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) भण्डरिपाल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
4.	लिपिक एवं भण्डारपाल	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी या हायर-सैकेन्डरी द्वितीय श्रेणी या इन्टर-मिडिएट द्वितीय श्रेणी या स्नातक या इसके समकक्ष ; (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक) या सेना में 15 वर्ष की सेवा के साथ सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	**पदोन्नति द्वारा--** (i) ग्रुप घ के पद पर पांच वर्ष का अनुभव जहां वेतनमान भण्डारपाल से कम है ; (ii) निदेशक द्वारा लिया जाने वाला मैट्रिक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में टैस्ट पास करना होगा ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा --** (i) भण्डारपाल के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
पुस्तकालय सेवाएं			
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ;	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;

1	2	3	4
		(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री ;	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
		(iii) अनुसंधान या वैज्ञानिक पुस्तकालय में जिम्मेदारी हैसियत के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ;	
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	
	2. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) मैट्रिक या हायर सैकेन्डरी पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र ;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
सांख्यिकीय सेवाएं			
	1. सांख्यिकीय सहायक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर स्तर पर सांख्यिकीय में एक पेपर सहित अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में मास्टर उपाधि या यदि उम्मीदवार सांख्यिकीय के एक पेपर सहित गणित या अर्थशास्त्र में आनर्स स्कूल में स्नातक भी हो इन विषयों में बी.ए. आनर्स	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) सांख्यिकीय सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
		स्कूल स्तर पर सांख्यिकीय के एक पेपर के साथ या सांख्यिकीय में मास्टर डिग्री; और (ii) अनुभव — (क) मास्टर उपाधि की दशा में किसी सरकारी कार्यालय में आंकड़ों की संग्रहण, संकलन और विश्लेषण में एक वर्ष के अनुभव रखने वालों को अधिमान्यता दी जाएगी ; (ख) स्नातक की दशा में, किसी सरकारी कार्यालय में आंकड़ों की संग्रहण, संकलन और विश्लेषण का तीन वर्ष का अनुभव ; और (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	
2.	मैडिकल रिकार्ड टैक्नीशियन	**अनिवार्य योग्यताएं —** (i) सांख्यिकीय या अर्थशास्त्र या गणित के विषयों के साथ बी.ए. ; (ii) किसी अध्यापन अस्पताल के मैडिकल रिकार्ड विभाग के	**पदोन्नति द्वारा--** (i) मैडिकल रिकार्ड लिपिक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
		मैडिकल रिकार्ड टैकनीशियन या सहायक या लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान अधिमान्य (i) मैडिकल रिकार्ड टैकनीशियन कोर्स में डिप्लोमा ; या (ii) (वायोस्टैटिक्स में डिप्लोमा) ।	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) मैडिकल रिकार्ड टैकनीशियन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
3.	मैडिकल रिकार्ड लिपिक	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक ; (ii) हस्पताल में मैडिकल रिकार्ड के रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव ।	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) मैडिकल रिकार्ड लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
4.	कम्प्यूटर	(i) हिन्दी सहित मैट्रिक पास ; (ii) सांख्यिकीय कार्य में एक वर्ष के अनुभव के साथ मैट्रिक या हायरसैकेन्डरी या कम्प्यूटर के कार्य का ज्ञान ।	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) कम्प्यूटर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
सामान्य सेवाएं			
1.	निदेशक शारीरिक शिक्षा (शारीरिक अनुदेशक)	(i) शारीरिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर ; या शारीरिक शिक्षा (एम.पी.ई.) में द्वितीय श्रेणी मास्टर डिग्री 2 वर्षीय कोर्स ; या शारीरिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) निदेशक शारीरिक शिक्षा (शारीरिक अनुदेशक) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
		में डिप्लोमा के साथ स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी ; (ii) शारीरिक अनुदेशक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	
	2. स्वागती	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ; (ii) अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा पर पर्याप्त अधिकार होना चाहिए ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिंन्दी का ज्ञान ; ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने इसमें विशेष प्रशिक्षण या डिप्लोमा प्राप्त किया हो या जिन्हें किसी बड़े चिकित्सालय या संस्था या निजी उदगम में स्वागती के रूप में कार्य का महत्वपूर्ण अनुभव हो तथा आशुलिपि और टाईम का भी ज्ञान हो ।	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) स्वागती के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
	3. छात्रावास पर्यवेक्षक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातकोत्तर ; (ii) किसी सरकारी होस्टल, अध्यापन संस्था में प्रबन्धक तथा पर्यवेक्षक का पांच वर्ष का अनुभव ;	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--** (i) छात्रावास पर्यवेक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; **प्राथमिकताएं** : उनको अधिमान दिया जायेगा जो मैडिकल विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने का पर्याप्त अनुभव रखते हों, या कैटरिंग में दो वर्ष का डिप्लोमा रखते हों । **अनिवार्य** :	
4.	महिला छात्रवास	(i) मैट्रिक या हायर सैकेन्डरी या इसके समकक्ष ; (ii) लड़कियों के छात्रावास में महिला अधीक्षक के रूप में छः मास का अनुभव ; (iii) मध्यम आयु की महिला जो लड़कियों को नियन्त्रित कर सके ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा**-- (i) अधीक्षक महिला छात्रावास के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
5.	काऊंटर सुपरवाईजर एवं मैस लिपिक	(i) हिन्दी के साथ मैट्रिक पास ; (ii) किसी छात्रावास में काऊंटर सुपरवाईजर एवं मैस लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ;	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा**-- (i) काऊंटर सुपरवाईजर एवं मैस लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
लिपिकीय अमला :			**छोटी शस्तियां :**		
1.	निदेशक का निजी सहायक	निदेशक	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	निदेशक	सरकार
2.	अधीक्षक (अराजपत्रित)		(ii) परिनिन्दा ;		
3.	उप-अधीक्षक		(iii) पदोन्नति रोकना ;		
4.	चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रधानाचार्य, दन्त महाविद्यालय का निजी सहायक		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद् या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई		
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
6.	सहायक				
7.	लेखाकार				
8.	मुख्य लिपिक				
9.	चैकिंग सहायक				
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक				

1	2	3	4	5	6
		निदेशक			
11.	रोकड़िया		धन सम्बन्धी हानि को		
12.	कनिष्ठ वेतनमान		पूरी या उसके भाग की		
	आशुलिपिक		वेतन से वसूली ;		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना		
13.	आशुटंकक		वेतन वृद्धियां रोकना ;		
14.	लिपिक		**बड़ी शास्तियां :**		
15.	लिपिक एंव		(vi) संचयी प्रभाव से वेतन-		
	टंकक		वृद्धियां रोकना ;		
16.	दरोगा-एंव-		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के		
	लिपिक		लिये समयमान में निम्नतर		
17.	पेईग क्लीनिक		प्रक्रम पर अवनति ऐसे		
	रोकड़िया		अतिरिक्त निदेशों सहित		
भण्डार सेवाएं :			कि क्या सरकारी		
1.	भण्डाराधिकारी		कर्मचारी ऐसी अवनीति		
2.	वरिष्ठ		की अवधि के दौरान		
	भण्डारपाल		वेतन वृद्धियां अर्जित		
3.	भण्डारपाल		करेगा या नहीं और		
4.	लिपिक-एंव-		क्या ऐसी अवधि की		
	भण्डारपाल		समाप्ति पर ऐसी अवनति		
पुस्तकालय सेवाएं :			उसकी भावी वेतनवृद्धियां		
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष		स्थगित करने का प्रभाव		
2.	सहायक		रखेगी या नहीं ;		
	पुस्तकालयाध्यक्ष		(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद		
सांख्यिकीय सेवाएं :			या सेवा पर, ऐसी अवनति,		
1.	सांख्यिकीय		जो सरकारी कर्मचारी के		
	सहायक		उस समय वेतनमान, ग्रेड,		

1	2	3	4	5	6
2.	मैडिकल रिकार्ड टैक्नीशियन		पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ;		
3.	मैडीकल रिकार्ड लिपिक				
4.	कम्पयूटर				
सामान्य सेवाएं :					
1.	निदेशक शारीरिक शिक्षा (शारीरिक अनुदेशक)				
2.	स्वागती				
3.	छात्रावास पर्यवेक्षक		(ix) अनिवार्य सेवा निवृति ;		
4.	अधीक्षक महिला छात्रावास		(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;		
5.	काउंटर सुपरवाईज़र-एंव मैस लिपिक		(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त अधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
लिपिक वर्ग अमला :				
1.	निदेशक का निजी सहायक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	निदेशक	सरकार
2.	अधीक्षक (अराजपत्रित)			
3.	उप अधीक्षक			
4.	चिकित्सा अधीक्षक/ प्रधानाचार्य, डैन्टल विश्वविद्यालय का निजी सहायक			
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
6.	सहायक			
7.	लेखाकार			
8.	मुख्यलिपिक			
9.	चैकिंग असिस्टैन्ट			
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक			
11.	रोकडिया			
12.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
13.	आशुटंकक			
14.	लिपिक			
15.	लिपिक-एंव-टंकक			
16.	दरोगा-एंव-लिपिक			
17.	पेईग क्लीनिक कैशियर			

1	2	3	4	5
भण्डार सेवायें :				
1.	भण्डार अधिकारी			
2.	वरिष्ठ भण्डारपाल			
3.	भण्डारपाल			
4.	लिपिक-एंव-भण्डारपाल			
पुस्तकालय सेवाएं :				
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष			
2.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष			
सांख्यिकीय सेवाएं :				
1.	सांख्यिकीय सहायक			
2.	मैडिकल रिकार्ड टैक्नीशियन			
3.	मैडिकल रिकार्ड लिपिक			
4.	कम्प्यूटर			
सामान्य सेवाएँ :				
1.	निदेशक शारीरिक शिक्षा (शारीरिक अनुदेशक)			
2.	स्वागती			
3.	छात्रावास पर्यवेक्षक			
4.	अधीक्षक महिला छात्रावास			
5.	काऊंटर सुपरवाईज़र एंव मैस लिपिक			

कोमल आन्नद,

आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार,

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ।